कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

//रूचि की अभिव्यक्ति ऑफर आमंत्रण सूचना//

क्र0/ लोकवि/जोन–3/न0नि0/ 2023/ 1256 भिलाई, दिनांक 27/02/23

नगर पालिक निगम, भिलाई अंतर्गत् जोन क्र0–3 क्षेत्रांतर्गत स्थित विद्युत पोल (ट्यूबलर पोल)/उच्चस्तरीय पानी टंकी एवं सुलभ शौचालय में फ्लेक्स/विज्ञापन लगाकर नगर पालिक निगम को लाभ प्राप्ति हेतु अधिकतम ऑफर के आधार पर इच्छुक संस्थाये/एन. जी.ओ. व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन से रूचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत् आफर दर नियम एवं शर्तों के तहत आमंत्रित की जाती है।

एजेंसी आवेदन पत्र के साथ संस्था का रजिस्ट्रेशन, आयकर प्रमाण–पत्र/पेन कार्ड के साथ रू. 750.00 नगद जमा कर कार्यालयीन समय में दिनांक **20.03.2023 सांय 5.30** बजे तक नियम/शर्ते की प्रति प्राप्त कर सकते है। उक्त कार्य हेतु ऑफर दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **28.03.2023 सायं 5.30** बजे रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त की जावेगी।

आफरदाता को चार लिफाफा पद्धति से प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि रू0 5000.00 (प्रत्येक वार्ड के विद्युत पोलों के लिए अलग–अलग), रू0 2000.00 (प्रत्येक शौचालय के लिए अलग–अलग) एवं रू0 5000.00 (प्रत्येक उच्च स्तरीय पानी टंकी के लिए अलग–अलग) का एफ. डी. आर. (किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक) जोन आयुक्त जोन–03 नगर पालिक निगम, भिलाई के नाम से जमा करना एवं लिफाफा 'ब' में एन.जी.ओ., समूह व एजेन्सी का रजिस्ट्रेशन, व्यक्ति का पहचान पत्र व पता संबंधी दस्तावेज, स्वयं हस्ताक्षर का होना अनिवार्य एवं लिफाफा 'स' में अनुमानित राशि व लिफाफा 'द' में भरकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

प्राप्त ऑफर दिनांक **29.03.2023** को प्रातः 11:00 खोली जावेगी। नियम शर्ते एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है। दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित रहेगा। नियम शर्ते एवं अन्य जानकारी निगम के वेबसाईट **www.bhilainagarnigam.com** एवं संचालनालय की वेबसाईट **www.uad.cg.gov.in** मे देखी जा सकती है।

जोन आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

जोन क्रमांक 03 अंतर्गत विद्युत पोलों (ट्यूबलर पोलों) में फ्लैक्स, विज्ञापन कार्य हेतु रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत नियम एवं शर्ते।

नगर पालिक निगम भिलाई जोन–03 क्षेत्रांतर्गत स्थित विभिन्न विद्युत पोल (ट्यूबलर पोल) स्थापित है उक्त पोलों में फ्लैक्स (2.0X3.0) फीट विज्ञापन कार्य हेतु अधिकतम ऑफर पर इच्छुक संस्थाओं/एन.जी.ओ. समूहों को रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत ऑफर दर आमंत्रित की जाती है उक्त ऑफर दर हेतु निर्धारित नियत एवं शर्ते निम्नानुसार है।

स. क्र.	स्थल का विवरण	संख्या
1	नंदिनी रोड (पावर हाउस चौक से एसीसी चौंक ट्यूबलर पोल)	66
2	18 नंबर रोड़ (शिव मंदिर से रामलू चौंक)	49
3	जी.ई. रोड़ (जोन 03 के सामने से न्यू बसंत टॉकिज)	20
	कुल योग	135

1. आफरदाता को चार लिफाफा पद्धति में प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि रू. 5000.00 (प्रत्येक वार्ड के लिये अलग–अलग) का एफ.डी.आर. जोन आयुक्त जोन–03 नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से जमा करना एवं लिफाफा 'ब' में एन.जी.ओ., समूह व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन, व्यक्ति का पहचान पत्र व पता संबंधी दस्तावेज, स्वंय हस्ताक्षर का होना अनिवार्य एवं लिफाफा 'स' में 01 वर्ष के लिए अनुमानित राशि व लिफाफा 'द' में भरकर प्रस्तुत करना होगा।

2. ऑफर दाताओं से अपेक्षा की जाती है कि दर निर्धारण करने के पूर्व संबंधित विद्युत पोलों (ट्यूबलर पोलों) का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेवें।

3. फ्लैक्स का आकार (3.0X2.0) फीट लम्बाई 3 एवं चौड़ाई 2 का होना चाहिये। ऑफरदाता द्वारा प्रतिदिन प्रति फ्लैक्स के लिये दरे प्रस्तुत करना होगा।

4. आफरदाता को प्राप्त दर की स्वीकृति होने की सूचना प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर इकरारनामा करना होगा। इकरारनाम न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा ऑफर निरस्त किया जा कर अमानत राशि राजसात की जावेगी जिसमी स्मपूर्ण जवावदारी आफरदाता की होगी। अनुबंध करने पश्चात जारी कार्यादेश के 07 दिवस अन्दर विषयांकित कार्य प्रारंभ करना होगा।

5. पोलों में फ्लैक्स लगाने के कार्य हेतु लगातार 05 वर्षो के लिए एन.जी.ओ., दरदाता, समूह, व्यक्ति व एजेंसी को करना होगा। प्रथमतः 01 वर्ष के लिए अनुबंध किया जावेगा तत्पश्चात

Scanned with CamScanner

सफलता पूर्वक कार्य संपादन पूर्ण करने पर क्रमशः 02 बार 02 वर्ष के लिए अनुबंध का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

6. उल्लेखित विद्युत पोलों (ट्यूबलर पोलों) का संपूर्ण स्वामित्व नगर पालिक निगम भिलाई का होगा।

7. विद्युत पोलों (ट्यूबलर पोलों) में किसी तरह के नये कार्य करने के पूर्व निगम से योजना प्रस्तुत कर पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

8. विद्युत पोलों (ट्यूबलर पोलों) में कोई परिवर्तन नही किया जा सकेगा, न ही उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा।

9. विद्युत पोलों (ट्यूबलर पोलों) के संधारण कार्य पर हुये व्यय आदि की मांग किये जाने पर मान्य नहीं होगा।

10. विद्युत पोलों (ट्यूबलर पोलों) के फ्लैक्स के संबंधी कार्यों में किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति की जिम्मेदारी संबंधित की होगी एवं दी गई अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

11. उल्लेखित कार्य में नगर पालिक निगम भिलाई का दिशा निर्देश, नियम एवं शर्ते एजेंसी को सर्वमान्य होगा। साथ ही शासन द्वारा समय पर जारी दिशा– निर्देशों एवं आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

12. कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दुर्घटना,जनधन की हानि की जिम्मेदारी स्वयं ऑफर दाता की होगी।

13. विद्युत पोलों (ट्यूबलर पोलों) में किसी भी प्रकार की असमाजिक/अवैधानिक गतिविधि कोई नशा प्रदर्शित करने वाली विज्ञापन प्रदर्शित करना वर्जित होगा।

14. आफरदाता को कुल उपलब्ध पौल की संख्या .... में प्रति पोल में 02 फ्लैक्स के मान से अधिकतम ऑफर वार्षिक रूप से देना होगा।

15. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

जोन आयुक्त
जोन–03
नगर पालिक निगम, भिलाई

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

/जोन क्रमांक 03 अंतर्गत उच्चस्तरीय पानी टंकी में पेटिंग द्वारा विज्ञापन किये जाने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत नियम एवं शर्ते/

नगर पालिक निगम भिलाई जोन–03 क्षेत्रांतर्गत स्थित विभिन्न उच्चस्तरीय पानी टंकी निर्मित है, जिसमें पेटिंग द्वारा विज्ञापन किये जाने हेतु अधिकतम ऑफर के आधार पर इच्छुक संस्थाओं/एन.जी.ओ., समूहों व एजेंसी को रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत ऑफर आंमत्रित की जाती है उक्त ऑफर दर हेतु निर्धारित नियत एवं शर्ते निम्नानुसार है।

स. क्र.	विवरण	क्षमता
1	वार्ड 30, चंद्रा मौर्या उच्चस्तरीय जलागार	3200.00 KL
2	वार्ड 31, मदर टेरेसा नगर उच्चस्तरीय जलागार	3200.00 KL

1. आफरदाता को चार लिफाफा पद्धति में प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि रू. 5000.00 का एफ.डी.आर. (प्रत्येक टंकी के लिये अलग–अलग) जोन आयुक्त जोन–03 नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से जमा करना एवं लिफाफा 'ब' में एन.जी.ओ., समूह व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन, व्यक्ति का पहचान पत्र व पता संबंधी दस्तावेज, स्वयं हस्ताक्षर का होना अनिवार्य एवं लिफाफा 'स' में 01 वर्ष के लिए अनुमानित राशि व लिफाफा 'द' में भरकर प्रस्तुत करना होगा।

2. ऑफर दाताओं से अपेक्षा की जाती है कि दर निर्धारण करने के पूर्व संबंधित उच्चस्तरीय पानी टंकी का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेवें।

3. विज्ञापन की दरे प्रतिवर्ग मीटर प्रतिमाह प्रतिवर्ष में देना होगा।

4. आफरदाता को प्राप्त दर की स्वीकृति होने की सूचना प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर इकरारनामा करना होगा। इकरारनाम न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा ऑफर निरस्त किया जा कर अमानत राशि राजसात की जावेगी जिसमी स्मपूर्ण जवावदारी आफरदाता की होगी। अनुबंध करने पश्चात जारी कार्यादेश के 07 दिवस अन्दर विषयांकित कार्य प्रारंभ करना होगा।

5. उल्लेखित उच्चस्तरीय पानी टंकी में विज्ञापन कार्य हेतु लगातार 05 वर्षो के लिए एन.जी.ओ., दरदाता, समूह, व्यक्ति व एजेंसी को अनुमति दी जाएगी। प्रथमतः 01 वर्ष के लिए अनुबंध किया जावेगा तत्पश्चात सफलता पूर्वक कार्य संपादन पूर्ण करने पर क्रमशः 02 बार 02 वर्ष के लिए अनुबंध का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

6. उल्लेखित उच्चस्तरीय पानी टंकी का संपूर्ण स्वामित्व नगर पालिक निगम भिलाई का होगा।

Scanned with CamScanner

7. उल्लेखित उच्चस्तरीय पानी टंकी की परिसीमा में कोई परिवर्तन नही किया जा सकेगा। टंकी की बाहरी दिवाल में ही विज्ञापन प्रकाशन की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

8. संधारण कार्य पर हुये व्यय आदि की मांग किये जाने पर मान्य नहीं होगा।

9. उच्चस्तरीय पानी टंकी के रख–रखाव संबंधी कार्यो में किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी एवं दी गई अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

10. उल्लेखित कार्य में नगर पालिक निगम भिलाई का दिशा निर्देश, नियम एवं शर्ते एजेंसी को सर्वमान्य होगा साथ ही अन्य शासकीय नियमों एवं दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

11. ऑफरदाता को उपलब्ध उच्चस्तरीय पानी टंकी में पेटिंग से विज्ञापन हेतु वार्षिक रूप से अधिकतम ऑफर मान्य होगा।

12. उक्त उच्चस्तरीय पानी टंकी में आफरदाता कोई स्थायी निर्माण नही करेगा।

13. कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दुर्घटना,जनधन की हानि की जिम्मेदारी स्वयं ऑफर दाता की होगी। समस्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ कार्य कराने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।

14. उच्चस्तरीय पानी टंकी में किसी भी प्रकार की असमाजिक गतिविधि तथा कोई नशा इत्यादि वर्जित होगा एवं उपरोक्त किसी भी प्रकार की गतिविधि की स्थिति में आफरदाता की जिम्मेदारी होगी। बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

15. शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

16. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

जोन आयुक्त
जोन–03
नगर पालिक निगम, भिलाई

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

जोन 03 मदर टेरेसा नगर अंतर्गत स्थापित सुलभ शौचालयों के छतों पर साईन बोर्ड, फ्लैक्स एवं विज्ञापन कार्य हेतु नियम एवं शर्तें।

नगर पालिक निगम जोन–03 क्षेत्रांतर्गत स्थित विभिन्न सुलभ **शौचालय निर्मित** है, उनके छतों पर साईन बोर्ड, फ्लैक्स एवं विज्ञापन कार्य हेतु अधिकतम ऑफर पर इच्छुक संस्थाओं/एन.जी.ओ. समूहों को रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत ऑफर आमंत्रित की जाती है उक्त ऑफर दर हेतु निर्धारित नियत एवं शर्तें निम्नानुसार है।

स. क्र.	वार्ड	शौचालय का विवरण
1	30 प्रगति नगर	प्रगतिनगर
2	30 प्रगति नगर	एकता नगर
3	31 मदर टेरेसा नगर	सुन्दर नगर पुरूष सुलभ
4	31 मदर टेरेसा नगर	सुन्दर नगर 10 विस्तर अस्पताल के पास
5	32 बैकुंठधाम सुंदर नगर	केम्प 02 विजय नगर सुलभ
6	वार्ड 33 संतोषी पारा केम्प 2	न्यू संतोषी पारा
7	वार्ड 33 संतोषी पारा केम्प 2	हुड़को क्वाटर
8	वार्ड 34 वीर शिवाजी नगर	केम्प–2 मिलन चौक
9	वार्ड 36 श्याम नगर	महात्मा गांधी नगर
10	वार्ड 37 संत रविदास नगर	सुभाष सब्जी मंण्डी

1. आफरदाता को चार लिफाफा पद्धति में प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि रू. 2000.00 का एफ.डी.आर. (प्रत्येक शौचालय के लिये अलग–अलग) जोन आयुक्त जोन–01 नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से जमा करना एवं लिफाफा 'ब' में एन.जी.ओ., समूह व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन, व्यक्ति का पहचान पत्र व पता संबंधी दस्तावेज, स्वयं हस्ताक्षर का होना अनिवार्य एवं लिफाफा 'स' में 01 वर्ष के लिए अनुमानित राशि व लिफाफा 'द' में भरकर प्रस्तुत करना होगा।
2. ऑफर दाताओं से अपेक्षा की जाती है कि दर निर्धारण करने के पूर्व संबंधित सुलभ शौचालयों का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेवें।
3. विज्ञापन की दरे प्रतिवर्ग मीटर प्रतिमाह/प्रतिवर्ष में देना होगा। प्रत्येक शौचालय में अधिकतम 3 मीटर X 5 मीटर के बोर्ड लगाने की अनुमति होगी। उपलब्धता होने पर एजेंसी की मांग पर एक से अधिक बोर्ड की अनुमति दी जा सकेगी।
4. आफरदाता को प्राप्त दर की स्वीकृति होने की सूचना प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर इकरारनामा करना होगा। इकरारनाम न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा ऑफर निरस्त किया जा कर अमानत राशि राजसात की जावेगी जिसमी स्मपूर्ण जवाबदारी आफरदाता की होगी। अनुबंध करने पश्चात जारी कार्यादेश के 07 दिवस अन्दर विषयांकित कार्य प्रारंभ करना होगा।
5. उक्त शौचालयों में विज्ञापन बोर्ड लगाने के कार्य हेतु लगातार 05 वर्षो के लिए एन.जी.ओ., दरदाता, समूह, व्यक्ति व एजेंसी को अनुमति दी जाएगी। प्रथमतः 01 वर्ष के लिए अनुबंध किया जावेगा तत्पश्चात सफलता पूर्वक कार्य संपादन पूर्ण करने पर क्रमशः 02 बार 02 वर्ष के लिए अनुबंध का नवीनीकरण किया जा सकेगा।
6. उल्लेखित सुलभ शौचालयों का संपूर्ण स्वामित्व नगर पालिक निगम भिलाई का होगा।

Scanned with CamScanner

7. सुलभ शौचालयों में किसी तरह के नये कार्य, सौन्दर्यीकरण कार्य करने के पूर्व निगम से योजना प्रस्तुत कर पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
8. सुलभ शौचालयों की परिसीमा में कोई परिवर्तन नही किया जा सकेगा।
9. सुलभ शौचालयों में लगाये जाने वाले विज्ञापन बोर्ड पर विद्युत व्यय का वहन ऑफर दाता द्वारा किया जावेगा। ऑफरदाता को ग्लो साईन बोर्ड लगाये जाने पर विद्युत का खर्च वहन करना होगा।
10. ऑफरदाता को छत के अतिरिक्त शौचालय में अधिकतम 04 नग (सुलभ शौचालय के मुख्य द्वार में 7 X 5 के 02 फ्लैक्स 10 X 10 के 02 फ्लैक्स/बोर्ड) हेतु वार्षिक रूप से अधिकतम ऑफर दर मान्य होगा।
11. संधारण कार्य पर हुये व्यय आदि की मांग किये जाने पर मान्य नहीं होगा।
12. उल्लेखित कार्य में नगर पालिक निगम भिलाई का दिशा निर्देश, नियम एवं शर्तो संबंधित को मान्य होगा।
13. उक्त सुलभ शौचालयों में आफरदाता कोई स्थायी निर्माण नही करेगा न ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा।
14. सुलभ शौचालयों पूर्णतः सार्वजनिक होगा जिसका उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जावेगा।
15. कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दुर्घटना,जनधन की हानि की जिम्मेदारी स्वयं ऑफर दाता की होगी। समस्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ कार्य कराने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
16. सुलभ शौचालयों में किसी भी प्रकार की असमाजिक गतिविधि तथा कोई नशा से संबंधित विज्ञापन प्रदर्शित करना इत्यादि वर्जित होगा एवं उपरोक्त किसी भी प्रकार की गतिविधि की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
17. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

जोन आयुक्त
जोन क्र. 03
नगर पालिक निगम भिलाई

Scanned with CamScanner

कार्यालय,नगर पालिक निगम,भिलाई
जोन– 3 मदरटेरेसा नगर

क0/जोन–3/न0नि0/2023/1256 भिलाई, दिनांक 27/02/2023

प्रति,

जनसम्पर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम,
भिलाई

विषयः– रूचि की अभिव्यक्ति ऑफर आंमत्रण सूचना का प्रकाशन बाबत्।

नगर पालिक निगम, भिलाई में जोन क0–3 से संबंधित संलग्न रूचि की अभिव्यक्ति ऑफर आंमत्रण सूचना का प्रकाशन नियमानुसार दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशित विज्ञापन की प्रति उपलब्ध करावें।

संलग्नः–1. रूचि की अभिव्यक्ति सूचना की प्रति

o/c

जोन आयुक्त
जोन–03
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ0 क0/जोन–3/न0नि0/2023/1257 भिलाई, दिनांक 27/02/ 2023

प्रतिलिपिः–

1. प्रोग्रामर, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नवा रायपुर को सूचनार्थ एवं www.uad.cg.gov.in and tender-uad@cg.gov.in में अपलोड करने का कष्ट करेगें ।

o/c

जोन आयुक्त
जोन–03
नगर पालिक निगम, भिलाई

Scanned with CamScanner